कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक -2007 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 09/02/ 2024.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत सैन्थल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग हेतु 3.115 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 50469/2020।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/72/2016/एफ0सी0/982 दिनांक 20.01.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 3605/12-1 दिनांक 20.01.2024 द्वारा सूचित किया है। जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

2 FEB 2024 32097

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांकः 3605 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ, 20–जनवरी, 2024 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1711/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत–सैन्थल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.115 हे0 गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No.FP /UK/ ROAD /50469/2020)।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पंत्राक 8बी/यू0सी0पी0/06/72/ 2021/एफ0सी0/982 दिनांक 20.10.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में ऑनलाईन लगाई गई आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण निम्नलिखित हैः–

सं0	लगाई गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	In reply to point No.1 of this office EDS dated 06.06.2022, the clarification provided is not acceptable as the location of village 'Bijori' is not marked. It is requested to submit the reply to point No.1 of this office EDS letter 06.06.2022.	आपत्ति सं0 01 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि "मोटर मार्ग निर्माण हेतु शासनादेश 4.00 किमी0 लम्बाई मे स्वीकृत है। दिनांक 06.06.2022 को लगाई गई आपत्ति पत्र के द्वारा मोटर मार्ग की लम्बाई लाभान्वित आबादी तक संशोधित करते हुए प्रस्ताव गठन हेतु कहा गया है। जिसके कम मे अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण से ग्राम गदाली, बड़ीगांव व मौचोरा सीधे रूप से लाभान्वित हो रहे है, परन्तु मोटर मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 4.00 किमी0 ही होने के कारण बिजौरी तक मोटर मार्ग नही पहुँच पा रहा है। मोटर मार्ग 0.500 किमी की अतिरिक्त लम्बाई पर बिजौरी तक जुड जाता, परन्तु स्वीकृत लम्बाई के सापेक्ष ही समरेखण अनुमोदित कराये जाने के कारण मोटर मार्ग वन क्षेत्र में समाप्त हो रहा है। मोटर मार्ग की लम्बाई कम किये जाने की स्थिति में बिजौरी की मोटर मार्ग से दूरी अत्यधिक हो जाने के कारण मोटर मार्ग की लम्बाई कम किया जाना सम्भव नही है। इसको अतिरिक्त स्थानीय जनता द्वारा भी मोटर मार्ग स्वीकृत लम्बाई से कम लम्बाई में निर्मित किये जाने हेतु विरोध किया जा रहा है। जिसके कम में मोटर मार्ग के संशोधित प्रस्ताव गठित किये जाने सम्भव नहीं है। अतः स्वीकृत 4.00 किमी0 लम्बाई में ही मोटर मार्ग निर्माण किया जाना उचित होगा। ग्राम बिजौरी को के0एम0एल0 पर प्रदर्शित कर दिया गया है।"
2	In reply to point No.2 the, correction in tree enumeration is still not done in online portal. As per the details provided only 59 trees are required to felled, therefore it is requested to make necessary amendments at para 4 in Part II of the proposal in online portal.	ऑनलाईन पोर्टल पार्ट–।। में सही सूचना अपडेट कर दी गयी है।

भवदीय,

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।